

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2019/6656

दिनांक : 26-12-2019

तृतीय स्मरण पत्र


प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त संबन्धित अशासकीय महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- महाविद्यालय में परिनियम 28(17) में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है, कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सामान्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षा संकाय पाठ्यक्रम के संचालित जिन महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ (प्राचार्य/शिक्षकों) की कमी है वो Statute No. -28 के प्रावधानुसार दिनांक 31.12.2019 तक आवश्यक रूप से नियुक्तियाँ करायें अन्यथा शिक्षकों के अभाव में आगामी सत्र 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना संभव नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता पाठ्यक्रमानुसार (NCTE/AICTE/Statute No. -27) होगी। 31.12.2019 के पश्चात नियुक्तियाँ करना संभव नहीं होगा। सामान्य पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की विषयवार आवश्यकता Statute No. -28 Appendix-II के अनुसार होगी।


डायरेक्टर

महाविद्यालयीन विकास परिषद्